

**समाहरणालय, गढ़वा**  
(जिला समाज कल्याण भाखा)  
कार्यालय— जिला बाल संरक्षण इकाई, गढ़वा।  
Email - dcpsgarhwa@gmail.com

**प्रेस विज्ञप्ति**

**बाल संरक्षण सेवाएँ (CPS) अंतर्गत जिला स्तरीय संविदा आधारित चयन**

बाल संरक्षण सेवाएँ (CPS) भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत राज्य में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के विभिन्न प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। बाल संरक्षण सेवाएँ अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

1. जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), गढ़वा								
क्र० सं०	पदनाम	पद कोड	कुल रिक्त पद	उम्र	मासिक परिलब्धि	शैक्षणिक योग्यता	आरक्षित/ अनारक्षित	कार्यानुभव
1	संरक्षण पदाधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख)	DCPS03	1	30-45	21,000/-	सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान/ समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से एम० बी० ए०/ पी०जी०डी०बी०ए०/पी० जी० डी०बी०ए०/पी० जी०डी० आर०डी० अतिरिक्त योग्यता होगी।	अनारक्षित	बाल कल्याण/बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।
2	परामर्शदाता	DCPS05	1	30-45	14,000/-	सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान/ समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से एम० बी० ए०/पी०जी०डी०बी०ए० /पी०जी०डी०बी०ए०/पी०जी०डी०आर०डी० अतिरिक्त योग्यता होगी।	अनारक्षित	बाल विकास एवं काउंसिलिंग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।
3	सामाजिक कार्यकर्ता	DCPS06	2	30-45	14,000/-	सामाजिक कार्य/ मनोविज्ञान /समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से एम० बी० ए०/पी०जी०डी०बी०ए० /पी०जी०डी०बी०ए०/पी०जी०डी० आर०डी० अतिरिक्त योग्यता होगी।	अनारक्षित-1 अनुसूचित जाति-1	बाल विकास एवं काउंसिलिंग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।
4	लेखापाल	DCPS07	1	30-45	14,000/-	वाणिज्य में स्नातक। कम्प्यूटर में दक्षता/टैली का ज्ञान। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से एम०कॉम०/एम० सी० ए०, अतिरिक्त योग्यता होगी।	अनारक्षित	सरकारी संस्थान , लोक उपक्रम ,मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का लेखा कार्य का अनुभव।
5	ऑकडा विश्लेषक	DCPS08	1	30-45	14,000/-	सामाजिक कार्य/समाज शास्त्र/ एन्थ्रोपोलॉजी में स्नातक। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से एम०कॉम०/ एम०सी०ए०, अतिरिक्त योग्यता होगी।	अनारक्षित	संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव

6	सहायक-सह-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	DCPS09	1	21-35	10,000/-	किसी भी संकाय में स्नातक। कम्प्युटर दक्षता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी में टंकण। हिन्दी -30 W.P.M. अंग्रेजी -35 W.P.M. सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0सी0ए0/एम0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	अनारक्षित	सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम, मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का कंप्यूटर कार्य / कार्यालय कार्य का अनुभव।
7	ऑउटरीच कार्यकर्ता	DCPS010	2	21-35	8,000/-	प्रवेशिका उत्तीर्ण	अनारक्षित-1 अनुसूचित जाति-1	संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।
<b>2. बाल कल्याण समिति (CWC)</b>								
1	सहायक-सह-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	CWC01	1		9,000/-	किसी भी संकाय में स्नातक। कम्प्युटर दक्षता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी में टंकण। हिन्दी -30 W.P.M. अंग्रेजी -35 W.P.M. सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0सी0ए0/एम0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	अनारक्षित	सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम, मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का कंप्यूटर कार्य / कार्यालय कार्य का अनुभव।
<b>3. किशोर न्याय बोर्ड (JJB)</b>								
1	सहायक-सह-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	JJB01	1		9,000/-	किसी भी संकाय में स्नातक। कम्प्युटर दक्षता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी में टंकण। हिन्दी -30 W.P.M. अंग्रेजी -35 W.P.M. सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0सी0ए0/एम0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	अनारक्षित	सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम, मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का कंप्यूटर कार्य / कार्यालय कार्य का अनुभव।

### नियम एवं शर्तें सभी पदों के लिए :-

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या-05/म0 बा0/ICPS/नियु0 नियमा0 - 575/2015-1835 दिनांक-20.07.2016 के आलोक में जिला स्तरीय संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:-

- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापाक 14/स्थानीयता नीति-1401/2015 का0 229/रॉंची, दिनांक- 19/01/2022 के आलोक में प्रकाशित नियुक्ति विज्ञापन में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे।
- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापाक-15 नीति-नि0-07-05/2021 का0 3842/रॉंची, दिनांक- 10.08.2021 के आलोक में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त भौक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या दसवी कक्षा तथा इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त भौक्षणिक संस्थान मैट्रिक या दसवी कक्षा तथा इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।
- उल्लेखित सभी पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसी नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार/विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।

4. प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्त एक वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कालावधी के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्त समिति के द्वारा उसके कार्यो की समीक्षा की जाएगी। तत्पश्चात कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नविनीकरण किया जा सकेगा।
5. संविदा के आधार पर नियुक्ति के नियम में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नही होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
6. आवेदन तथा आवश्यक निर्धारित मापदण्डों को पुरा नहीं करनेवाले आवेदकों का आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा।
7. आवेदको द्वारा आवेदित पदों से संबंधित भौक्षणिक योग्यता, अतिरिक्त योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत उनके संबंध में चयन समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
8. उम्र सीमा की गणना दिनांक **1.08.2022** के अनुसार की जाएगी।
9. उपर्युक्त पदों के नियुक्ति में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।
10. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नही हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे।  
परन्तु कार्य असंतोषजन पाए जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेंगी।
11. विभागीय संकल्प अधिसूचना-1835 दिनांक-20-07-2016 के तहत सभी शर्तें लागू होंगी।

#### आवेदन की प्रक्रिया :-

1. आवेदन जमा करने की तिथि दिनांक-**09.11.2022** से प्रारंभ होगी एवं दिनांक **30.11.2022** को कार्यालय अवधि में शाम 5:00 बजे तक अंतिम तिथि होगी। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नही किया जाएगा।
2. आवेदन विहित प्रपत्र में रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट / कूरियर से स्वीकार किया जाएगा।
3. यदि आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग-अलग पदों से संबंधित आवेदन करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन पत्र के साथ सभी भौक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अतिरिक्त भौक्षणिक प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आवेदन करने की पता – **जिला समाज कल्याण कार्यालय, समाहरणालय गढ़वा, प्रथम तल्ला, विकास भवन, ब्लॉक-ए, गढ़वा, पोस्ट व जिला-गढ़वा।**

उपायुक्त,  
गढ़वा।



13. Educational qualification

Examination passed	Name of Board / University	Year of passing	Percentage of Marks	Grade / Division

14. Professional / any other qualification :

Examination passed	Name of Board / University	Year of passing	Percentage of Marks	Grade / Division

15. Work experience :

Sl. No	Name of Organization	From	To	No. of Years	Nature of work

16. Whether presently serving in any Government/ Undertaking : .....

17. Enclosures : Photo Copy of Documents / Certificate related to Educational Qualification, Professional/ other qualification, Age, Work Experience, Caste Certificate, Residential Certificate, any photo identity card (Aadhar, Driving License, PAN etc.)

**Declaration**

Certify that above mentioned information are true, and if found to be false, District Child Protection Unit may cancel my candidature at any state of selection process at its sole discretion.

**Note** : Candidature is provisional. All candidates are directed to bring their original certificate for verification at the time when asked for by recruiting authority, failing which your candidature will not be considered.

Date:

Place:

(Signature of the Candidate)